

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 500] No. 500] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 2006/आश्विन 26, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2006/ASVINA 26, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 646(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्यिक उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 के नियम 4 के साथ पठित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्यिक उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निम्नलिख्ति सदस्यों वाली एक विषय निर्वाचन समिति का गठन करती है, अर्थात :—

प्रधात् :-		
1.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	श्री सचिन पायलट, संसद सदस्य	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	महानिदेशक, दृश्य, श्रव्य प्रचार, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
8.	भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	भारतीय प्रेस परिषद् के प्रतिनिधि, नई दिल्ली	सदस्य
10.	सुश्री शोभा जॉन, पथ कनाडा, मुम्बई	सदस्यं
11.	सुश्री मोनिका अरोड़ा, हृदय, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री आर. अरुल, पशुमय त्यागम, चेन्नई	सदस्य
13.	श्री हेमंत गोस्वामी, बर्निंग ब्रेन सोसाइटी, चंडीगढ़	सदस्य
14.	डा. एन. चिदंबरम, प्रोफेसर, मेडिसिन, राजा मुधिया मेडिकल कालेज हास्पिटल, अन्नामलई विश्वविद्यालय	सदस्य
15.	डा. पी. सी. गुप्ता, हेलिस-शेखसराय इंस्टिटयूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, नवी मुम्बई (महाराष्ट्र)	सदस्य
	श्री डी. पी. पोड्डार, वालन्ट्री हेल्थ एसोशिएसन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
16. 17.	संयुक्त सचिव (लोक स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य-समन्वयक

[फा. सं. एच-11017/5/2004-पी एच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

ALL LAND

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2006

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 read with rule 4 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004 the Central Government hereby constitutes a Steering Committee, with the following Members, to take action regarding violations of Section 5 of the said Act, namely:—

1	Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi	Chairman
2		Member
3.	Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delh	i Member
4.	Joint Secretary, Ministry of Law and Justice, Government of India, New Delhi	Member
5.	Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, New Delhi.	Member
6.	Director General, Directorate of Audio Visual Publicity, New Delhi	Member
7.	Director General, Press Information Bureau, New Delhi	Member
8.	Representative of Advertising Standards Council of India,	Member
9.	Representative of Press Council of India, New Delhi	Member
10.	Ms. Shobha John, PATH CANADA, Mumbai	Member
11.	Ms. Monica Arora, HRIDA Y, New Delhi	Member
12.	Shri R. Arul, Pasumai Thaayagam, Chennai	Member
13.	Shri Hemant Goswami, Burning Brain Society, Chandigarh	Member
14.	Dr. N. Chidambaram, Professor of Medicine Rajah Muttiah Medical College Hospital, Annamalai University	Member
15.	Dr. P. C. Gupta, Healis-Sekhsarai Institute of Public Health, Navi Mumbai (Maharashtra)	Member
	Shri D. P. Poddar, Voluntory Health Association of India, New Delhi.	Member
	Joint Secretary (Public Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi	Member-Convener

[F. No. H-11 017/5/2004-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.